राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: *न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर* :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 35/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शारदा पत्नि जगदीशप्रसाद 2. नेनी पत्नि धनराज 3. मनोहर पत्नि कान्तीलाल जातियान जागीड़ खाती निवासीगण मूण्डवा तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		1. संतोष पत्नि दयालराम जाति जाट निवासीगण मूण्डवा तहसील मूण्डवा जिला नागौर । 2 राजस्थान सरकार तहसीलदार मूण्डवा।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 रा.ले.रे. एक्ट
वास्ते सीमाज्ञान कर पत्थर गड्डी करवाने

आदेश

दिनांक :– 30-5-16

प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि :–

1 यह है कि प्रार्थीगण के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी का खेत खसरा नम्बर 600 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा वाके सरहद मौजा सोलियाणा तहसील मूण्डवा में स्थित है, नकल खतौनी व नक्शा टेस किश्तवार साथ पेश है।

2 यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के उक्त खेत खसरा न. 600 के चिपता ही दक्षिणी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 संतोष की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 599 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद सोलियाणा तहसील मूण्डवा में स्थित है। जिसकी नकल खतौनी भी साथ पेश है तथा उक्त खसरान की हल्का पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट साथ पेश है।

3 यह है कि, प्रार्थीगण के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 600 तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा न.599 चिपते स्थित है यानि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा न. 600 के चिपता ही दक्षिणी तरफ खसरा न. 599 स्थित है जो नक्शा टेस में दर्शित है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अपने परिवार के सदस्यो के साथ मिलकर बिना किसी हक अधिकार के जबरदस्ती प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि खसरा न. 600 में अतिक्रमण कर पुख्ता कब्जा करना चाहती है व मौके पर सींवे काट कर कुछ भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है व दिन–प्रतिदिन सींवो को प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा न. 600 की तरफ अप्रार्थी संख्या1 अपने खेत खसरा न. 599 की सीमा को धकेलती रहती है जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार जी मूण्डवा के समक्ष माप हेतू निवेदन करने पर उनके आदेश से पटवारी हल्का थिरोद व आई.एल. आर. मूण्डवा ने दिनांक 11.7.2015 को मौतबिरान की उपस्थिति में मौके पर निरीक्षण कर माप कर रिपोर्ट व नक्शा तैयार किया जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा न. 600 की 4 गट्ठा व भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा न. 599 दबी होना पाया व दुसरी तरफ खसरा न. 600 की 3 गट्ठा भूमि कम पाई गई। उक्त माप रिपोर्ट मय नजरी नक्शा नक्शा की प्रति साथ पेश है।

4 यह है कि उक्त माप रिपोर्ट से अप्रार्थी संख्या 1 सहमत नहीं होने व प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के जिस रकबे पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाजायज अतिक्रमण किया हुआ है उसको छोडने हेतू तैयार नहीं होने से प्रार्थीगण को मजबूर होकर उक्त प्रावधान के तहत यह आवेदन सीमाज्ञान कर पत्थरगड्डी करवाने हेतू न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

5 यह है कि उपरोक्त अनुसार पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद होने व टंटा फिसाद होने की स्थिति हो व आगे काश्त का मौसम आने व बरसात होने पर खेतो में फसल बौने पर नाप चोप होकर पत्थर गड्डी करवाना संभव नहीं हो सकने से तुरन्त सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगड्डी करवाना

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आवश्यक व न्याय संगत है ताकि अनावश्यक वाद विवाद व मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

6 यह है कि उक्त खेंताय सरहद मौजा सोलियाणा तहसील मूण्डवा में स्थित होने से माननीय न्यायालय हाजा को इस आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

7 यह है कि उक्त आवेदन में भूमिधारी तहसीलदारजी आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार मूण्डवा को अप्रार्थी पक्षकार अप्रार्थी बनाया जाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर जरिये रजिस्ट्री से भिजवाया गया जिसकी रजिस्ट्री रसीद संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 2 का नोटिस बाद तामील शामिल पत्रावली है।

मामला राष्ट्रीय लोक अदालत प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.07.2015 में हल्का पटवारी मूण्डवा ने यह अंकित किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 600 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा मौजा सोलियाना तहसील मूण्डवा के दक्षिणी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 संतोष के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 599 स्थित है। उक्त रेकॉर्ड में यह अंकित किया कि बिन्दु बी पर खसरा नम्बर 600 का रकबा खसरा नम्बर 599 में 4 गटटा दबा हुआ है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 600 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा मौजा सोलियाना एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 599 का मुस्तकिल बिन्दु से नाप चौप कर प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 600 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा का नाप चौप कर पत्थरगडी करवाने का आदेश तहसीलदार मूण्डवा को दिये जाते है। नाप चौप कमिश्नर खर्चे के एक हजार रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर ही कमिश्नर (तहसीलदार मूण्डवा) को देय होगे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 30.05.2016 को मजमे आम में मेरा द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर